


शिविर कार्यालय सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0
लखीमपुर-खीरी।



F. N. A.

पत्रांक 106 (नैच-11) / जांच

दिनांक:- 20/12/19

सेवा में,

मुख्य विकास अधिकारी,
लखीमपुर खीरी।


B.S.A.
Kheri

विषय :- विद्यालय का निरीक्षण कर जांच आख्या उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भ :- आपका पत्रांक 461/ओएसडी/19-20 दिनांक 07.12.2019

महोदय,


उपरोक्त संदर्भित विषयक प्रकरण में जांच आख्या शासनादेश संख्या 89/अरसठ-3-2018-2041/2018 दिनांक 11.01.2019 के क्रम में संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।


संलग्नक :-

1. मूल पत्रावली।
2. जांच आख्या।

B. S. A.

7890
24/12/19


(तेज प्रकाश वर्मा)
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0
लखीमपुर खीरी।


20
20/12/19


जांच आख्या

कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, लखीमपुर खीरी के पत्रांक 461/ओ0 एस0डी0/2019-20 दिनांक 07.12.2019 के अनुपालन में चिल्ड्रेन्स ऐकेडमी, लखीमपुर खीरी के प्राथमिक विद्यालय की संलग्न शासनादेश संख्या 89/अरसठ-3-2018-2041/2018 दिनांक 11.01.2019 के बिन्दु 17(ख) की जांच आख्या निम्नवत् है :-

विद्यालय भवन की छत एवं दीवारों के निर्माण में पूर्ण मजबूती प्रतीत होती है। भवन में धूप एवं ठंड से बचाव की पर्याप्त व्यवस्था की गयी है। कक्षा-कक्ष हवादार एवं रोशनीयुक्त है। भवन की सीढ़ियां एवं रैम्प नेशनल बिल्डिंग कोड 2005 में निर्धारित मानक के अनुसार बनायी गयी है। आकस्मिकता की स्थिति में बच्चों के निकास में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं है।

विद्यालय प्रबन्धक द्वारा भवन निर्माण का एन0बी0सी0-2005 के मानकों के अनुरूप होने का सिविल इंजीनियर द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। (संलग्न है)

भवन नेशनल बिल्डिंग कोड 2005 के मानकों के अनुसार है।


(तेज प्रकाश वर्मा)
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0
लखीमपुर खीरी।